भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

78

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांकः /2017

R/निगरानी/राजगढ़/भू.रा.सं./2017/6001

1– मान खां पिता दिलावर खां जाति मुसलमान उम्र 66 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 12 जोशी मोहल्ला खिलचीपुर, जिला राजगढ (व्यावरा) म0प्र0

2– श्रीमती लालाबाई पुत्र चुन्नीलाल माली निवासी खिलचीपुर, जिला राजगढ (व्यावरा) म0प्र0

——— आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार, खिलचीपुर, राजगढ (व्यावरा) म0प्र0

——— अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 12.12.17 को प्रस्तुत
12.12.17
रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
3-1-18

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार खिलचीपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1बी–121/16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–05–2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत**

(This case is continued)

अभिभाषक / पक्षकार के द्वारा भरा जाये

| | |
|---|---|
| अधिनियम जिसके अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया | म०प्र० भू-राजस्व संहिता धारा-50 |
| प्रकार (अपील/निगरानी/पुनर्विलोकन/रिफोरम/... | |

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण कमांक** PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा./2017/6001

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12–12–2017 | आवेदक कमांक 1 मान खां स्वयं उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । तहसील न्यायालय के आदेशिका दिनांक 11–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेशिका से कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल अनुविभागीय अधिकारी के पत्र दिनांक 14–4–17 के पालन में प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अभी आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, इसलिए तहसील न्यायालय के उक्त आदेशिका में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |